

परिशिष्ट

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की
धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म
भाग-1
(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :- भण्डारीगांव रजवार बोक्टा धुराली मोटर मार्ग का नव निर्माण।

1.

क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/ परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण:-	भण्डारीगांव रजवार बोक्टा धुराली मोटर मार्ग का नव निर्माण।
ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	संलग्न है।
ग) परियोजना की लागत।	रु0 126.00 लाख
घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	एक मात्र नजदीकी समरेखन।
ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जानेके लिए)	लागू नहीं
च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	स्थानीय जनता अपनी कृषि उपज स्थानीय बाजार में आवाक कर पायेगी।
2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार
विवरण: संलग्न है।
3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का
विवरण, यदि कोई है

क) परिवारों की संख्या	नहीं।
ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	नहीं।
ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	नहीं।
4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ?
(हां/नहीं) हाँ।

5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके
अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक
वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य
सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के
अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र
आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता
(वचनबद्धता संलग्न की जाये)
6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण
पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा।

प्रमाण पत्र संलग्न है।

संलग्नानुसार।

दिनांक.....

स्थान.....


सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
पिथौरागढ़।


अधिशायी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
पिथौरागढ़।

प्रस्ताव की क्रम संख्या.....
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)